भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4374

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

जलपाईगुड़ी में पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थी

4374. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत जलपाईगुड़ी जिले के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की इस जिले में छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय सहायता और तैयार किए गए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): वितीय वर्ष 2021-22 से वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में नए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वितीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों/लाभार्थियों की संख्या
2021-22	131
2022-23	67
2023-24	49

(ख)और(ग): सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएमएसई) को क्रियान्वित कर रही है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा प्रशासित सीजीएसएमएसई के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ 500 लाख रुपये (दिनांक 01.04.2023 से) की सीमा तक एमएसई को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। वितीय वर्ष 2021-22 से वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीएसएमएसई के अंतर्गत जलपाईगुड़ी जिले में प्रदत्त ऋण गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वितीय वर्ष	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपये)
2021-22	1,047	70
2022-23	1,395	142
2023-24	2,335	276

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण पीएमईजीपी के अंतर्गत भावी उद्यमियों और लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है, जिनके ऋण को पीएमईजीपी उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताओं, बही-खाता, वैधानिक अनुपालन आदि जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों से संबंधित अभिविन्यास (ओरीएन्टेशन) और जागरूकता प्रदान करना है।

*****